संख्याः— /XX(5)/18—06(ना0सु0)/2018

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा विभाग
उत्तराखण्ड ,देहरादून।

गृह अनुभाग—5 देहरादूनः दिनांक 21 फरवरी, 2018

विषयः—नागरिक सुरक्षा विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2017—18 में पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः—सीजी—162/हो0गा0/2065/1630, दिनांक—25.01.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या—610/3(150/XXVII(1)/2017, दिनांक—30.06.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2017—18 में संलग्न बी0एम0—09 के अनुसार बचतों को पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या—06—लेखाशीर्षक—2070—अन्य प्रशासनिक सेवायें—00—आयोजनेत्तर—106—सिविल रक्षा—03 स्थापना(25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)—01 सामान्य की मद संख्या—02—मजदूरी, 04—यात्रा व्यय, 16—व्यावसायिक तथा विशेष, 44—प्रशिक्षण व्यय, 45—अवकाश यात्रा व्यय में से मद संख्या—08— कार्यालय व्यय, 12—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 15—गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल, 17—किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व मद में प्राविधानित धनराशि रू0 757,000/—(रूपये सात लाख सत्तावन हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय, साथ ही व्यय करते समय वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3— बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

4— जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0—13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा गृह विभाग को प्रत्येक माह विलम्बतम 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

5— मितव्ययिता सम्बन्धी शासन द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

6— यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय—व्ययक 2017—18 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय—व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।

7— कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि विभागाध्यक्ष के स्तर से आहरण—वितरण अधिकारी/कोषागार स्तर को बजट तत्काल प्राप्त हो जाय।

क्रमशः—

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–06–लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–106–सिविल रक्षा–03 स्थापना(25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)–01 सामान्य की मद संख्या–08– कार्यालय व्यय, 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल, 17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व मद के नामे डाला जायेगा एवं संलग्न प्रपत्र बी0एम0–15 के अनुसार बचतों से वहन किया जायेगा।

9– अलोटमेंट आई0डी0 S18002060322 आवंटन पत्र दिनांक–23.02.2018 (पत्र के साथ संलग्न)।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः– 272 मतदेय/XXVII(5)/2018, दिनांक–23.02.2018 में प्राप्त उनकी सहमति व दी गयी शर्तों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 112(1)/XX(5)/18–06(ना0सु0)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्ड़िग, माजरा देहरादून।
2. निदेशालय, कोषागार, लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–1/5
4. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।